"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2002—आश्विन 13, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/382/2001/वाक/पांच (105).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/382/2001/वाक/पांच (57), दिनांक 17-10-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में प्रविष्टी 1 एवं 2 में कालम (3) में अंक एवं शब्द "1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक" के स्थान पर अंक एवं शब्द "1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक" प्रतिस्थापित किया जावेगा.

2. यह संशोधन 1-4-2002 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-10/382/2001/वाक/पांच (105).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 10/382/2001/वाक/पांच (105), दिनांक 5-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 5th October 2002

NOTIFICATION

No. F-10/382/2001/CT/V (105).—In exercise of powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification No. F-10/382/2001/CT/V (57), dated 17-10-2001, namely :—

AMENDMENT

1. In the entry 1 and 2 in column (3) of schedule to the notification in place of words and figures "from 1st April, 2001 to 31st March, 2002", the words and figures "from 1st April, 2002 to 31st March, 2003" shall be substituted.

2. This amendment will be effective from 1-4-2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.